लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
024/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/89)	09-04-2024	07-05-2024

अनवान

शांतिलाल छीपा, बालाजी नमकीन नाश्ता, सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./024/2024(सू.अ.)(30.04.2024)/173 दिनांक 09.04.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 07.05.2024 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे एवं अपीलार्थी से लिखित अभिवचन प्राप्त हुआ जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/103 दिनांक 30.04.2024 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री शांतिलाल छीपा, बालाजी नमकीन नाश्ता, सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदन पत्र दिनांक 18.01.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से वांछित सूचना हेतु प्रार्थी को स्पष्ट विवरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2024/06 दिनांक 09.02.2024 से लिखा गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण (सबंधित आदेश की प्रति) उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में सूचना दिया जाना संभाव नहीं है। (प्रति संलग्न)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र से वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है, जिससे प्रकरण पर अपील निस्तारण योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा कमेंट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी/आवेदक के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.01.2024 से वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए /लोसूअ/2024/06 दिनांक 09.02.2024 से प्रत्युत्तर प्रेषित किया जाकर स्पष्ट विवरण चाहा गया है। इस तथ्य की पुष्टि प्रार्थी/आवेदक द्वारा अपील मेमों के साथ प्रस्तुत उक्त पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है कि शामिल पत्रावली है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन के साथ पत्र दिनांक 29.02.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के पत्र दिनांक 09.02.2024 के क्रम में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छाया प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, किन्तु अपीलार्थी/आवेदक द्वारा इस न्यायालय को वांछित सूचना के स्पष्ट विवरण (संबंधित आदेश की प्रति) पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी/आवेदक के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रस्तुत द्वारा आवेदन–पत्र दिनांक 16.01.2024 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 का विहित समायावधि में निस्तारण किया गया है, लेकिन पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित स्पष्ट विवरण उपलब्ध करा दिया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट विवरण पत्र दिनांक 29.02.2024 अनुसार बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 16.01.2024 जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 18.01.2024 को प्राप्त हुआ का निस्तारण उपर्युक्त निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **07.05.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official